न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— मनोज कुमार मीना आर.ए.एस.

अनवान :— प्रार्थना पत्र संख्या 127/2021

रामाकृष्ण पुत्र लालचंद जाति कुम्हार निवासी महियांवाली तह0 व जिला श्री गंगानगर।

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

— — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

—:: उपस्थिति अभिभाषक ::—

1. श्री राजेश गुम्बर — — प्रार्थी
2. पैरोकार राज — — अप्रार्थी 1

— :: निर्णय ::—

दिनांक :—09.09.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 4 एच एच पटवार हल्का महियांवाली तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 109/71, मु0 न0 15 की कुल 6.198 है0 में से 991/3099 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जमाबंदी की नकल शामिल है उपरोक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में चला जा रही है, इस खाता की शेष भूमि शेष हिस्सेदारो के कब्जा काश्त मे है। प्रार्थी का वास्तविक नाम रामाकृष्ण है तथा उसके पिता का नाम लालचंद है, प्रार्थी के नाम से फोटोयुक्त आधार कार्ड स0 201271136384 भारत सरकार विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया हुआ है, जिसकी फोटो प्रति शामिल है, प्रार्थी को घर से स्नेह व प्यार से रामकिशन भी कहा जाता था। अतः राजस्व रिकार्ड मे कर्मचारीगण माल की गलती अथवा घर पर रामकिशन कहने के कारण रामाकृष्ण के स्थान पर जमाबंदी मे रामकिशन पुत्र लालचंद दर्ज हो गया है। प्रार्थी अपनी भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहता है मगर आधार कार्ड व अन्य रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम रामाकृष्ण दर्ज होने के कारण जमाबंदी में दर्ज नाम से मिलान ना होने के कारण विकास कार्य करवाने मे बाधा पैदा हो रही है ग्राम पंचायत महियांवाली द्वारा भी फोटोयुक्त प्रमाण पत्र दिनाक 10.06.21 को जारी किया हुआ है जिसमे भी यह स्पष्ट लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि रामाकृष्ण पुत्र श्री लालचंद जाति कुम्हार निवासी महियांवाली तह0 व जिला श्री गंगानगर का है, मूल प्रमाण पत्र शामिल है। इन हालात मे प्रार्थी को उपरोक्त जमाबंदी मे अपने नाम दर्ज उपरोक्त हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित करवाते हुए नाम की दुरूस्ती करवाते हुए रामकिशन के स्थान पर रामाकृष्ण दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है जिससे कि प्रार्थी भूमि मे विकास कार्य करवाकर आवश्यक लाभ प्राप्त कर सके तथा भूमि का बंटवारा आदि करवाने मे भी भविष्य मे होने वाली परिशानियो से बच सके क्योंकि नाम सही दर्ज होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:14 IST
Reason: SelfAttested

9.9.2022
अधिकारी (राजस्व)

पर ही अर्थात उपरोक्त हिस्सा की भूमि का प्रार्थी रामाकृष्ण को खातेदार घोषित करते हुए दर्ज करने पर ही वह आगामी समस्त कार्यवाही कर सकेगा जिसके लिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी से बार बार आग्रह किया कि वह चक 4 एच एच पटवार हल्का महियांवाली तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 109/71 मु0 न0 15 की 6.198 हे0 मे दर्ज प्रार्थी के नाम की भूमि 991/3099 का प्रार्थी रामाकृष्ण पुत्र लालचंद को खातेदार मानते हुए जमाबंदी संवत 2072–75 एवं अन्य जिस संवत की रजिस्ट्री मे इस प्रकार की गलती हो की दुरूस्ती कर रामकिशन के स्थान पर रामाकृष्ण दर्ज करे मगर प्रतिप्रार्थी द्वारा दिनाक 07.06.2021 को यह स्पष्ट कहा गया है कि यह उनके लिए संभव नही है, सक्षम न्यायालय से आदेश अथवा डिक्री लाने पर ही जमाबंदी मे नाम सही दर्ज कर खातेदार दर्ज किया जा सकेगा अतः यह बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे स्थित है अतः वाद प्रार्थी काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के पेश किया जा रहा है तथा उचित न्यायशुल्क पर है चूंकि अन्य किसी हिस्सेदार का हित प्रभावित नही होता है अतः किसी अन्य को मुकदमा मे पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नही होती।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार चक 10 4 एचएच में खाता संख्या 109 मु.नं. 15 कुल 6.198 हैक. दर्ज रिकार्ड हजै। प्रार्थी रामाकृष्ण पुत्र लालचंद के नाम से 1.982 हैक. भूमि दर्ज रिकार्ड जमाबंदीनुसार प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र लालचन्द दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम रामकिशन से रामाकृष्ण करवाना चाहता है। मौके पर पूछताछ व सरपंच प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थी रामकिशन व रामाकृष्ण एक ही आदमी है मुताबिक अन्य दस्तावेज प्रार्थी का नाम रामकृष्ण किया जाना उचित है।

–:: आदेश ::–

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2073–2075 ग्राम का नाम 4 एचएच, पटवार हल्का महियांवाली, भू.अ.नि.क्षे. नेतवाला खाता संख्या 109/71, प्रार्थी रामाकृष्ण के नाम से जारी आधार कार्ड की प्रति एवम् सरपंच ग्राम पंचायत महियांवाली द्वारा जारी प्रमाण पत्र, साक्ष्य शपथ पत्र में भूप कुमार पुत्र श्री लालचूंद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2073–2075 ग्राम का नाम 4 एचएच, पटवार हल्का महियांवाली, भू.अ.नि.क्षे. नेतवाला खाता संख्या 109/71 में प्रार्थी का नाम रामकिशन के स्थान पर रामाकृष्ण दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:25:14 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नियमानुसार पूर्ण की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हस्ता. 9.9.2022

(मनोज कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर